न्यायालय सत्र न्यायाधीश, भदोही ज्ञानपुर।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या –49 सन् 2026
CNRNO.UPSN01–000772–2026
राजेश प्रताप सिंह बनाम उ०प्र० राज्य।

17.03.2026

1. आवेदक राजेश प्रताप सिंह की ओर से प्रार्थनापत्र कागज संख्या 4 क मय शपथपत्र 5 ख प्रस्तुत कर कथन किया गया कि सत्र परीक्षण संख्या 43/2013 सराकर बनाम राजेश प्रताप सिंह में आवेदक को अभियुक्त करार दिया गया, जिसके तहत उसे ज्ञानपुर कारागार भेजा गया। उपरोक्त मामले में आवेदक की जमानत दिनांक 30.10.2025 को स्वीकार की जा चुकी है, किन्तु आवेदक को तत्काल जमानतदारान नहीं मिले थे तो जमानतनामा की धनराशि नकद दो लाख रूपया न्यायालय के आदेश से न्यायालय में जमा हुआ है। उपरोक्त सत्र परीक्षण का निस्तारण दिनांक 07.03.2026 हो चुका है, जिसमें आवेदक को दोषमुक्त किया गया। आवेदक ने धारा 437 ए जाप्ता फौजदारी के अनुपालन में अपना जमानतनामा दाखिल कर दिया है। अतः आवेदक की जमानत धनराशि मु० दो लाख रूपया उसे वापस दिलाये जाने की याचना की गयी। आवेदक की ओर से सूची 7 ख से छायाप्रति कापी बैंक पासबुक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कटरा मदनीगंज प्रतापगढ़ शशिकला सिंह खाता संख्या 14090100015629 एवं छायाप्रति आधार कार्ड शशिकला सिंह दाखिल किया गया है। सूची 7 ख पर आवेदक राजेश प्रताप सिंह द्वारा अंकित किया गया है कि उसकी पत्नी शशिकला के बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये, जिसका सत्यापन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री तेज बहादुर यादव द्वारा किया गया है।

2. सत्र लिपिक श्री गुलाब यादव की आख्या, प्रार्थनापत्र के पुष्ट पर इस आशय की अंकित है कि जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1099/2025 राजेश प्रताप सिंह पुत्र स्व० नरसिंह बहादुर सिंह निवासी भदोही थाना कोतवाली देहात जिला प्रतापगढ़ अपराध संख्या 246/2012 धारा 379, 328, 411 भारतीय दण्ड संहिता थाना गोपीगंज, जिला भदोही में पारित जमानत आदेश दिनांकित 30.10.2025 व प्रार्थनापत्र 21 ख पर पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में सत्र परीक्षण संख्या 43/2013 सरकार बनाम राजेश प्रताप सिंह में जमानत राशि मु० दो लाख रूपया चालान संख्या K769322 द्वारा दिनांक 07.11.2026 को जरिये नजारत SBI Gyanpur, Bhadohi में जमा किया गया। सत्र परीक्षण संख्या 43/2013 stvs राजेश प्रताप सिंह दिनांक 07.03.2026 को निर्णय हो चुका है।

3. सुना एवं अवलोकन किया।

4. आवेदक/प्रार्थी की ओर से फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि आवेदक की जमानत दिनांक 30.10.2025 को स्वीकार की जा चुकी है, किन्तु आवेदक को तत्काल जमानतदारान नहीं मिले थे तो जमानतनामा की धनराशि नकद दो लाख रूपया न्यायालय के आदेश से न्यायालय में जमा हुआ है। उपरोक्त सत्र परीक्षण का निस्तारण दिनांक 07.03.2026 हो चुका है, जिसमें आवेदक को दोषमुक्त किया गया। आवेदक ने धारा 437 ए

जाप्ता फौजदारी के अनुपालन में अपना जमानतनामा दाखिल कर दिया है। अतः आवेदक की जमानत धनराशि मु० दो लाख रूपया उसे वापस दिलाये जाने की याचना की गयी। उक्त अभिकथन का समर्थन शपथपत्र से किया गया है। सत्र लिपिक की आख्या दिनांकित 12.03.2026 पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं न्यायहित में प्रार्थी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

5. प्रार्थी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4क स्वीकार किया जाता है। केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी राजेश प्रताप सिंह पुत्र स्व० नरसिंह बहादुर सिंह की पत्नी शशिकला निवासिनी भदोही, थाना कोतवाली, देहात जिला प्रतापगढ़ को जमाशुदा मु० 2,00,000/– की धनराशि वापस/अंतरित किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक/वांछित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

दिनांक –17.03.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही
JO Code NO.–UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.03.17 16:44:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court